

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का मुख्य कार्य शासन की नीतियों, कार्यकलापों तथा विकास कार्यों की आम जनता में प्रचार-प्रसार करना है। इस कार्य के लिये सूचना विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों(प्रकाशन, विज्ञापन, होर्डिंग तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया) का उपयोग किया जाता है। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु निदेशक को पूर्ण प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्रदत्त हैं। तदनुसार निदेशक द्वारा निर्णय लिया जाता है। फिर भी यदि शासन द्वारा कोई निर्देश दिये जाते हैं तो उनका भी पालन किया जाता है।